



2026:AHC:16869

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या -13167 वर्ष 2024

रवींद्र कुमार श्रीवास्तव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: अनूप शुक्ला, देवांश मिश्र

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री देवांश मिश्रा की ओर से उपस्थित श्री अनूप शुक्ला और राज्य-प्रतिपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी.के. श्रीवास्तव की बात सुनी।
2. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उन्हें 20.11.1994 को रूटीन ग्रेड क्लर्क के पद पर 18.07.1992 से नियुक्त किया गया था, इसके बाद उन्हें 13.12.1994 को अवर श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया और उन्हें 10.03.2005 को निलंबित कर दिया गया, जिसका निलंबन आदेश 12.06.2006 को रद्द कर दिया गया। 02.03.2012 को सहायक समीक्षा अधिकारी की वरिष्ठता सूची प्रकाशित हुई, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम सहायक समीक्षा अधिकारी की सूची में क्रमांक संख्या 2 पर है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके विरुद्ध शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही 19.11.2012 को समाप्त कर दी गई थी, हालांकि, इस बीच 05.11.2014 को सहायक समीक्षा अधिकारी प्रभावी हो गया। दिनांक 01.12.2008 को इसे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



क्रमशः 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा, 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा और 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर विभाजित किया गया।

3. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 05.11.2014 के शासकीय आदेश के अनुसार 6600 रुपये के ग्रेड वेतन के साथ तीसरा एपीसी (स्तर-11) प्रदान नहीं किया गया है।

3. इस याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिपक्षी को दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्ट्या द्वितीय प्रतिपक्षी, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस प्रकार की दलील पर कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

6. दोनों पक्षों की दलीलों और उनके रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को द्वितीय प्रतिपक्षी के समक्ष याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाती है। द्वितीय प्रतिपक्षी इसे प्राप्त होने पर दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय कानून के अनुसार, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने के भीतर करेगा। यदि द्वितीय प्रतिपक्षी का मत है कि प्रकरण का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें भेज दिए जाएंगे।

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिपक्षी से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करना यह संकेत नहीं माना जाना चाहिए कि न्यायालय ने प्रकरण के गुण-दोषों पर विचार किया है।

8. पूर्व अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

22 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।